कार्यालय नोडल अधिकारी / प्रशिक्षण अधीक्षक
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पत्थलगांव
जिला – जशपुर (छ0ग0)

Industrial Training Institute

Email ID- itiptl@rediffmail.com Phone No. 07765-233131

//विज्ञापन//

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण , छ.ग. अटलनगर ,नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों के अनुसरण में जिला - जशपुर छ.ग. में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुलदुला में स्वीकृत स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियन असिसटेंट (हिन्दी) प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध व्यवसाय - स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियन असिसटेंट (हिन्दी) के लिए प्रशिक्षण सत्र 2023-24 मे प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में इच्छुक आवेदक ,आवेदन दिनांक 21.05.2023 से दिनांक 05.06.2023 शायं 05.00 बजे तक नोडल अधिकारी/प्रशिक्षण अधीक्षक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पत्थलगांव जिला - जशपुर छ.ग. पिन कोड 496118 के नाम स्पीड पोस्ट /रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। पदों की जानकारी शैक्षणिक /तकनिकी योग्यतायें एवं निर्धारित मापदण्ड निम्ननुसार है।

1.पदों की जानकारी :-

क्र.	व्यवसाय / विषय का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम	रिक्त पद	कुल
1	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियन असिसटेंट (हिन्दी)	शा. औ. प्रशिक्षण संस्था दुलदुला	02	02

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र	व्यवसाय/विषय का नाम	शैक्षणिक /तकनीकी अर्हताएँ
1	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियन असिसटेंट (हिन्दी)	01 मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 02 अभ्यर्थी को संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबंधित ब्रांच/ संतुल्य संकाय में पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 03 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड /संस्था/शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद से हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100/80 शब्द प्रति मिनट की गति। 100 शब्द प्रति मिनट की गति को प्राथमिकता दी जावेगी। 04 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड /संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 शब्द प्रति मिनट की गति। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी।) 05 अभ्यर्थी को डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से(ए.टी.आई./ सी.टी.आई./एन.बी.टी.आई./आर.बी.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो।

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

3. अंको का निर्धारण एवं चयन प्रकिया :–

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार जावेगी। इस पद हेतु अनुभव आवश्यक नहीं है।
2. जिन पदो के लिये सीटीआई/एटीआई/आवश्यक है, उन पदो के लिये एक वर्षीय सीटीआई/ए.टी.आई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
3. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।
4. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटरयान (एलएमव्ही) का वैद्य लाइसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिये उक्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. नियम एवं शर्तें :–

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें जो कि कार्यालय अधीक्षक, औ.प्र. संस्था पत्थलगाँव से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन करने के पूर्ण नियम एवं निर्देशों का भली–भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं श्रुटि पूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर लिये जायेगें तथा इस सम्बन्ध में आवेदक को सूचना नहीं दी जायेगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसमें आरक्षण सम्बन्धी कोई नियम लागू नहीं होगें एवं अवकाश की कोई पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
4. पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतिक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये नोडल अधिकारी /अधीक्षक ले सकेंगें। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त पद की पूर्ति के लिये क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगें।
5. वांछित प्रमाण–पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 05.06.2023 शायं 05 बजे अथवा इसके पूर्व स्पीड–पोस्ट/रजिस्टर डाक के माध्यम से ही आवेदनों को स्वीकार किया जावेगा । नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
6. आवेदन कार्यलय अधीक्षक औ.प्र.सं. पत्थलगांव जिला जशपुर छ.ग. पिन कोड 496118 के पते पर ही किया जाना है।
7. अलग–अलग औ.प्र.संस्थाओं एवं व्यवसायों/विषयों हेतु अलग–अलग आवेदन जमा करना होगा। सीटीआई/एटीआई एवं अर्हकारी तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है।
8. चयन मेरिट के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य करना होगा।

Nehg

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

9. मेहमान प्रवक्ताओं की चयन सूची एवं प्रतिक्षा सूचि प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से 10 दिवस तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर दिया जावेगा। उसके बाद 10 दिवस तक प्रतिक्षा सूचि के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जावेगा। इसी क्रम से प्रतिक्षा सूचि के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा। अभ्यार्थी को चयन की सूचना प्राप्त होने उपरान्त उनके द्वारा कार्यग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो , उक्त 10 दिवस का समय लागू नहीं होगा प्रतिक्षारत् अभ्यार्थी को सूचित किया जा सकेगा।

10. आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नम्बर सही एवं स्पष्ट भरें, दिये गये मोबाईल नं. पर सम्पर्क न हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगें।

11. आवेदक की आयु दिनांक 05.06.2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

12. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जावेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा, पृथक करने का निर्णय सम्बन्धित प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।

13. आमंत्रित उम्मीदवारों के पद के विरूद्ध यदि शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा नियुक्ति की जाती है, तो मेहमान प्रवक्ता की सेवाएं स्वमेव समाप्त हो जाएंगी।

14. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग. अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार पढ़ाने/प्रशिक्षण देने हेतु प्रति घंटा 125/-रूपये की दर से, प्रति कार्य दिवस अधिकत 05 घंटे के मानदेय का प्रावधान है। प्रति माह अधिकतम रूपये 13,000/-(तेरह हजार रूपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

15. मेहमान प्रवक्ता हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानदेय भुगतान किया जायेगा।

16. यदि किसी आवेदक का चयन किसी एक से अधिक संस्था/व्यवसायों/विषयों के लिए हो जाता है, तो उसको किसी एक संस्था/व्यवसायों/विषयों के लिए कर्तव्य पर उपस्थित होने के बाद अन्य संस्था/व्यवसायों/विषयों का चयन स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

17. किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशि.) क्षेत्र कार्यलय अम्बिकापुर, क्षेत्र सरगुजा/समिति का निर्णय अंतिम एव बंधनकारी होगा।

प्रति,

अधीक्षक/नोडल अधिकारी,
शा.औ.प्र.संस्था पत्थलगांव
जिला–जशपुर (छ.ग.)।

Photo with self attested

विषयः– मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरण के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत हैः–

आवेदित व्यवसाय/विषय का नाम ....

आवेदित संस्था का नाम ....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. जाति/वर्ग ....वर्ग..............................
5. जन्मतिथि अंको में ....
   शब्दों में ....
6. दूरभाष/मोबाईल नंबर ....
7. स्थाई पता ....
....
....
8. सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण :(हॉ/नहीं) ....
9. हल्के मोटरयान (एलएमव्ही) का वैद्य लाइसेंस (यदि लागू हो): (हॉ/नहीं)..............................
10. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः–

क्र	प्ररीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	मंडल/बोर्ड का नाम	विषय/व्यवसाय	श्रेणी	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1								
2								
3								
4								
5								

टीप :– प्रत्येक संस्था/.व्यवसाय/विषय/के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

Rekha

//शपथ पत्र//

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है एवं सहमत हूँ कि–

1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण छ0ग0 रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय–समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही है। यदि जानकारी अथवा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र गलत पाये जाते हैं तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहुँगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा या चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगा। उसके लिये मैं सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्रचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं. एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने कि स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय के लिए चयन स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूचीः–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

स्थान :– ....

दिनाँक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरानाम ....

पूर्ण पता ....

....

फोन नंबर ....